



**कार्यालय मुख्य आयुक्त**  
Office of the Chief Commissioner  
**सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर**  
**CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur**

फा. सं.: GCCO/II/3/POST/8/2025-ADMN

**स्थापना आदेश सं. : 23/2025**

दिनांक : 23.05.2025

सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन द्वारा फा.सं. II-31(85)CCU/JZ/2023 दिनांक 24.04.2025 के अंतर्गत जारी ज्ञापनों की अनुपालना में निरीक्षक के पद पर अनंतिम आधार पर अधिकारियों की नव नियुक्ति के फलस्वरूप, **निरीक्षक** श्रेणी में निम्नानुसार आवंटन/ पदस्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से और अग्रिम आदेशों तक जारी किये जाते हैं:-

Sl. No.	Name of the Officer (Shri)	DOB	From	To
1.	Tarun Chittora	08.01.2000	On joining	CGST, Udaipur
2.	Neeraj Kumar Garg	01.11.1999	On joining	CGST, Jaipur
3.	Ravi Kumar Yadav	02.07.1995	On joining	CGST, Alwar
4.	Arpit Sharma	22.07.1999	On joining	CGST, Alwar
5.	Ms. Priyanka	10.07.2000	On joining	CGST, Jaipur
6.	Rakesh Kukna	01.01.2001	On joining	CGST, Jodhpur

2. उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 23.05.2025 (अपरान्ह) में कार्यमुक्त कर निर्देश दिए जाते हैं की वे अपने नाम के सम्मुख दर्शाए गए आयुक्तालय में कार्यग्रहण करें।

3. चूंकि यह आवंटन नव नियुक्ति पर किये जा रहे हैं, अतः उपरोक्त अधिकारियों को कोई स्थानान्तरण भत्ता एवं कार्यग्रहण अवधि देय नहीं होगी।

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

**(निष्ठा शर्मा)**  
संयुक्त आयुक्त

**प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -**

1. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर/ अलवर/ जोधपुर/ उदयपुर/ अंकेक्षण - जयपुर/ अंकेक्षण - जोधपुर/ अपील - जयपुर/ अपील - जोधपुर/ सीमा शुल्क (निवारक), जोधपुर।
2. वेतन एवं लेखाधिकारी, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
3. सम्बंधित अधिकारी।
4. गार्ड फ़ाइल/ नोटिस बोर्ड
5. वेबमास्टर - जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।